विद्यावती मुकन्दलाल गर्ल्स कॉलेज, गाजियाबाद

दिनांकः 30/09/2024

आवश्यक सूचना

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ के कार्यालय पत्रांकः परीक्षा/डी0आर0/9086 दिनांक 26/28.09.2024 के अनुपालन में महाविद्यालय में संस्थागत रूप से अध्ययनरत समस्त पाठ्यक्रमों की छात्राओं को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों एवं सम्बन्धित पाठ्यक्रमों के नियम तय करने वाली नियामक संस्थाओं द्वारा उल्लिखित मानकों के अनुसार 75% न्यूनतम उपस्थिति (Attendance) पूर्ण करने हेतु अनिवार्य कर दिया है।

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार संस्थागत रूप से अध्ययनरत समस्त पाठ्यक्रमों की छात्राओं को सूचित किया जाता है कि न्यूनतम उपस्थिति (Attendance) पूर्ण करना अनिवार्य है। जिन छात्राओं की उपस्थिति निर्धारित मानकों से कम रहेगी, उन छात्राओं के परीक्षा फार्म सत्यापित किये जाने सम्भव नहीं होंगे एवं उन छात्राओं को परीक्षा से वंचित कर दिया जायेगा।

संलग्नकः– विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत पत्र की फोटोप्रति।

R. Prasad 30/9/24

[प्रो0 (डॉ0) रचना प्रसाद]
कार्यवाहक प्राचार्या
Officiating Principal
Vidyavati Mukund Lal Girls College,
Dayanand Nagar, Ghaziabad.

प्रतिलिपि :–

1. समस्त शिक्षिकाओं को छात्राओं के Whatsapp Group में प्रेषित किये जाने हेतु।
2. वेबसाईट प्रभारी को वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।
3. नोटिस बोर्ड प्रभारी को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु प्रेषित।

R. Prasad 30/9/24

[प्रो0 (डॉ0) रचना प्रसाद]
कार्यवाहक प्राचार्या
Officiating Principal
Vidyavati Mukund Lal Girls College
Dayanand Nagar, Ghaziabad

TO, All Department Incharges for n.a.

R.Prasad 30/9/24.

चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : परीक्षा/डी0आर0/9086
दिनांक : 26.09.2024
28

विज्ञप्ति

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में संस्थागत रूप से अध्ययनरत समस्त पाठ्यक्रमों के छात्र/छात्राओं को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों एवं सम्बन्धित पाठ्यक्रमों के नियम तय करने वाली नियामक संस्थाओं द्वारा उल्लिखित मानकों के अनुसार न्यूनतम उपस्थिति (Attendance) पूर्ण करना अनिवार्य है।

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार समस्त विभागाध्यक्षों/समन्वयकों/निदेशक एवं प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशकों से अनुरोध है कि छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का कष्ट करें तथा ऐसे छात्र जिनकी उपस्थिति निर्धारित मानकों से कम है, को नियमानुसार परीक्षा से वंचित करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। निर्धारित उपस्थिति पूर्ण न करने वाले छात्र/छात्राओं के परीक्षा फार्म सत्यापित न किये जायें।

26.09.24

परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि :–

01. सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ।
02. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/समन्वयक/निदेशक/प्राचार्य, चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेपित।
03. अधिष्ठाता छात्र कल्याण, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेपित।
04. विश्वविद्यालय प्रेस प्रवक्ता।
05. गार्डफाइल।

26/09

उप कुलसचिव (परीक्षा)